समाचार.प्रकाषनार्थरू.

दो मिनिट का मौन रखकर षहीदों को याद किया

रतलाम 30 जनवरी । भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन का बलिदान करने वाले षहीदों की स्मृति में 30 जनवरी को प्रातः 11ः00 बजे निगम अधिकारी एवं कर्मचारियों ने निगम सभागृह में महात्मा गांधी के चित्र पर पुश्प अर्पित किये व दो मिनिट का मौन रखकर षहीदों को याद किया।

आनंद है तो जीवन है. नगर निगम आयुक्त श्री झारिया

नए भारत की गाथा एरंगोली से की साझा

रतलाम 30 जनवरी । मध्यप्रदेष राज्य आंनद संस्थान द्वारा आयोजित आनंद उत्सव के अंतर्गत नगर निगम रतलाम द्वारा रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन रविवार को हनुमान ताल पर किया गया ।स्वच्छता थीम पर आधारित रंगोली प्रतियोगिता में बालक एबालिका तथा महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रतलाम आनंद क्लब के सभी आनंदक ने स्वच्छता सर्वेक्षण में रतलाम को नंबर एक पर लाने की भावना को चित्रित करती रंगोली बनाई ।

खूबसूरत रंगोलियों को देखकर नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने कहा कि यदि मुझे रंगोली प्रतियोगिता का निर्णय करना पड़ता तो मैं सभी रंगोलियों को प्रथम पुरस्कार देता। उन्होंने सभी रतलामवासियों से अपने शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग की अपील की।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने मध्यप्रदेष राज्य आनंद संस्थान की सराहना करते हुए कहा कि मध्यप्रदेष सरकार द्वारा लोगों के जीवन मे से तनाव दूर करने के लिए खेल व सांस्कृतिक आयोजन द्वारा आनंद उत्सव मनाया जाना बहुत ही काबिले तारीफ़ है। अब इस आनंद को अपनी प्रतिदिन की जिंदगी का हिस्सा बना लेना चाहिये। तनाव ही कम उम्र में बीमारियों के होने की वजह है। जिंदगी में आनंद की अनुभूति होना बहुत जरूरी है। आनंद है तो सब कुछ है।

पर्यावरणविद श्री खुशहाल सिंह पुरोहित ने कहा कि हम सभी प्रकृति के साथ आनंदित रह सकते हैं इसलिए आनंद क्लब पर्यावरण संरक्षण पर भी कार्यक्रम जारी रखे। मप्र जन अभियान परिषद के जिला प्रभारी रत्नेश विजयवर्गीय ने शहर को स्वच्छएसुंदर व प्लास्टिक के निपटान के लिए प्लास्टिक की बोतल में रैपरएप्लास्टिक थैली भरकर इको ब्रिक बनाना बताया।

सीमा अग्निहोत्री द्वारा जिले के विद्यार्थियों से बनवाई गई इको ब्रिक के कार्यों की तारीफ करते हुए कहा कि 1 हजार ब्रिक एकत्र होने पर हनुमान ताल की खूबसूरती को निखारा जाएगा।

इस अवसर पर नगर निगम उपायुक्त श्री विकास सोलंकी व स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर नवोदित बैरागी व दिव्या पाटीदार जोशी एजिले के इको क्लब मास्टर ट्रेनर कृष्णलाल शर्मा भी उपस्थित थे।

रंगोली प्रतियोगिता के लिए निर्णायक डॉ माणिक डांगेए डॉ अनामिका सारस्वत व जयश्री सोलंकी रहे। आनंद उत्सव के लिए जिला प्रभारी आनंदम सहयोगी सीमा अग्निहोत्री व गिरीश सारस्वत ने कार्यक्रम का संचालन किया। आनंदक राजेंद्र चतुर्वेदी ने समस्त अतिथियों का आभार माना।

आनंद उत्सव की रंगोली प्रतियोगिता में आनंदम सहयोगी सीमा अग्निहोत्री व गिरीश सारस्वत के साथ आनंदक अणिमा आचार्यए मधु परिहार पुष्पेंद्र सिंह सिसोदियाए सुरेंद्र अग्निहोत्री ए प्रतिभा सिन्हाए पवन मकवानाए सुषमा अग्निहोत्री ए कृष्णलाल शर्माए आशा पुरीए आशा रावतए धर्मा कोठारी एविशाल वर्माए विमलेश वर्माए कमल सिंह राठौरए राजेंद्र चतुर्वेदीए विजय शर्माए नरेंद्र त्रिवेदीए प्रीति गोठवालए रामनिवास राठौर ने सहयोग किया। आनंदम सहयोगी सीमा अग्निहोत्री ने कहा कि मात्र 14 से 28 जनवरी तक ही आनंद उत्सव नहीं थाए रतलाम आनंद क्लब द्वारा आनंद के लिये सतत गतिविधियां जारी रहेगी ।

रंगोली प्रतियोगिता के परिणाम इस प्रकार रहे.बालिका वर्ग.प्रथम .दीप्ति पोरवालए द्वितीय.याशिका टाँकए तृतीय.प्रियंका गौड़ए बालक वर्ग.प्रथम .आकाश शर्माए

द्वितीय.आयुष शर्माए तृतीय.रोहित यादवए महिला वर्ग.प्रथम.निधि जैनएरिद्धि जैनए द्वितीय.राधा सांखला तृतीय. स्तुति अग्निहोत्रीए आशा पूरी।

उद्यान पर्यवेक्षकए झोन प्रभारी व माली निलंबित
कुष सांगते को वार्ड 35 के प्रभार से हटाया
स्वास्थ्य अधिकारी को कारण बताओ सूचना.पत्र

रतलाम 30 जनवरी । 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथी पर नगर निगम कार्यालय के सामने स्थित गांधी उद्यान में समय पर ताला नहीं खोलने व साफ.सफाई नहीं पाये जाने के संबंध में नागरिकों द्वारा नाराजगी प्रकट किये जाने पर उद्यान पर्यवेक्षक श्री अनिल पाराए झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़ेए माली नारायण गेहलोत को निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया साथ ही श्री कुष सांगते को वार्ड क्रमांक 35 के प्रभार से मुक्त किया गया इसके अलावा स्थायीकर्मी माली श्री मनीश.पन्नालाल का 7 दिवस का वेतन काटा गया। उक्त लापरवाही के संबंध में स्वास्थ्य अधिकारी श्री जीण्केण जायसवाल को कारण बताओ सूचना.पत्र जारी किया गया।

इंजीनियर कुरेषीए दषोत्तरए सहा0 वर्ग.2 गेहलोत की 1.1 वेतनवृद्धि रोकी

रतलाम 30 जनवरी । कलेक्टर एवं निगम प्रषासक द्वारा 18 जनवरी को अमृत सागर कन्सर्वेषन के अन्तर्गत डिस्लेटिंग प्रपोजल अनुमोदन किये जाने के बाद भी इप्को को प्रस्ताव नहीं भेजे जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार प्रभारी सहायक यंत्री श्री अनवर कुरेषीए श्री अरविन्द दषोत्तर व सहायक वर्ग.2 श्री कैलाष गेहलोत की 1.1 वेतनवृद्धि रोकी व कम्प्युटर आपरेटर श्री पुश्पेन्द्र सिंह को कार्य से बर्खास्त किया गया।

बिना अनुमति व अनुमति के विपरित 10 के स्थान पर 30 प्रतिषत अवैध निर्माण का होगा प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध

रतलाम 30 जनवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध के तहत 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध किया जा सकेगा। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग षुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेष षासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध हेतु नियमों में संषोधन कर अब 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत की सीमा तक हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग षुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है। रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है। नगर निगम द्वारा इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिये गये है।

कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति या अनुमति के विपरित बने अपने भवनों का प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध 28 फरवरी के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरूद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।

लक्कड़पीठा में आज लगेगा निगम का बकाया वसूली षिविर

नगर निगम द्वारा वार्ड वार बकाया वसूली षिविरो का आयोजन

नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए संपत्तिकर 59ण्68 लाख व जलकर 12ण्80 लाख की बकाया राषि जमा कराई

रतलाम 30 जनवरी । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली षिविर आयोजित किये गये है जो 03 मार्च 2022 तक चलेंगे।

आयोजित षिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरणए **जलकर**ए **दुकान**ए **गुमटी किराया**ए **लायसेंस षुल्क एवं विकास षाखा से संबंधित भवन की किष्त तथा भू.भाटक की बकाया राषि जमा करा सकेगें।**

निगम द्वारा आयोजित षिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर षिविर में संपत्तिकर 3ए28ए822रू. **व जलकर** 54ए850रू.ए **मालवा नगर लक्ष्मणपुरा षिविर में संपत्तिकर** 1ए62ए575रू. **व जलकर** 34ए520रू.ए **जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास षिविर में संपत्तिकर** 3ए02ए013रू. **व जलकर** 63ए450रू.ए **विनोबा नगर षिविर में संपत्तिकर** 1ए85ए292रू. **व जलकर** 1ए19ए720रू.ए **अलकापुरी कम्युनिटी हॉल षिविर में संपत्तिकर** 3ए20ए857रू. **व जलकर** 62ए950रू.ए **तिरूपति नगर षिविर में संपत्तिकर** 1ए28ए977रू. **व जलकर** 28ए870रू.ए **कोमल नगर षिविर में संपत्तिकर** 2ए16ए000रू. **व जलकर** 14ए000रू.ए **इन्द्रलोक नगर मार्निंग स्टार स्कूल के पास षिविर में संपत्तिकर** 2ए51ए600रू. **व जलकर** 1ए04ए640रू.ए **कस्तुरबा नगर षिविर में संपत्तिकर** 8ए61ए206रू. **व जलकर** 1ए21ए090रू.ए **प्रियदर्षनी नगर षिविर में संपत्तिकर** 2ए14ए000रू. **व जलकर** 47ए000रू.ए **डोंगरे नगर षिविर में संपत्तिकर** 2ए54ए422रू. **व जलकर** 83ए700रू.ए **हाट रोड षिविर में संपत्तिकर** 1ए71ए500रू. **व जलकर** 27ए540रू.ए **कलीमी कालोनी षिविर में संपत्तिकर** 1ए96ए281रू. **व जलकर** 40ए240रू.ए **राजेन्द्र नगर षिविर में संपत्तिकर** 1ए45ए000रू. **व जलकर** 31ए760रू.ए **काटजू नगर षिविर में संपत्तिकर** 3ए36ए077रू. **व जलकर** 72ए440रू.ए **वेदव्यास कालोनी षिविर में संपत्तिकर** 98ए534रू. **व जलकर** 37ए465रू.ए **कल्याण नगर षिविर में संपत्तिकर** 87ए732रू. **व जलकर** 36ए660रू.ए **दीनदयाल नगर षिविर में संपत्तिकर** 2ए91ए455रू. **व जलकर** 92ए125रू.ए **बोहरा बाखल षिविर में संपत्तिकर** 4ए97ए298रू. **व जलकर** 64ए770रू.ए **रामगढ़ षिविर में संपत्तिकर** 1ए59ए241रू. **व जलकर** 28ए140रू.ए

लक्कड़पीठा षिविर में संपत्तिकर 3ए82ए093६ व जलकर 94ए240६ की राषि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली षिविरो के वार्ड क्रमांक 21 व 45 के लिये 28ए 29 व 31 जनवरी को लक्कड़पीठा प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 48 व 49 के लिये 1 से 3 फरवरी तक आर्य समाज मंदिर धानमण्डीए वार्ड क्रमांक 40 व 41 के लिये 4 से 5 फरवरी तक जूनी कोर्ट किरण टॉकिजए वार्ड क्रमांक 28ए 29ए 36ए 37 व 38 के लिये 7 से 8 फरवरी तक लॉ कॉलेज आनंद कालोनीए वार्ड क्रमांक 28 के लिये 9 फरवरी को प्रताप नगर उद्यान के पासए वार्ड क्रमांक 22 के लिये 10 फरवरी को महावीर नगरए वार्ड क्रमांक 39ए 40 व 41 के लिये 11 से 12 फरवरी तक पैलेस रोड तिराहाए वार्ड क्रमांक 25ए 26 व 27 के लिये 14 फरवरी को चौगानिया भेरूए वार्ड क्रमांक 24ए 25 व 42 के लिये 15 व 16 फरवरी को षिक्षा विभाग सायर चबुतराए वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 17 व 19 फरवरी तक चौमुखीपुल प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 41 के लिये 21 से 22 फरवरी तक बजाजखाना गणेष देवरीए वार्ड क्रमांक 33ए 34 व 35 के लिये 23 व 24 फरवरी को षास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पासए वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 25ए 26 व 28 फरवरी को दो बत्ती चौराहाए वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लिये 1 से 3 मार्च तक स्टेषन रोड दिलबहार चौराहे पर कार्यालयीन समय में षिविर आयोजित किये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त षिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित षिविरों में बकायादार अपनी बकाया राषि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

30 जनवरी को 44 टन कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 30 जनवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर.घर से पृथक.पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले.सूखे कचरे व सड़को व नाले.नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले

कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 29 जनवरी रविवार को 44 टन कचरा जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

30 जनवरी रविवार को डम्पर से 18870ए टेªक्टर से 4695ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 11020 व काम्पेक्टर गीला कचरा 10110 किलो इस तरह कुल 44695 किलो कचरा जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

8584 पेंषन हितग्राहियों का हुआ भौतिक सत्यापन

पेंषन पाने वाले हितग्राही अपना भौतिक सत्यापन करवायें

रतलाम 30 जनवरी । रतलाम षहर के सामाजिक सुरक्षाए इंदिरा गांधी राश्ट्रीय वृद्धा पेंषनए राश्ट्रीय विधवा पेंषनए राश्ट्रीय निःषक्त पेंषनए सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंषनए विधवा पेंषनए निःषक्त पेंषनए मानसिक बहुविकलांग पेंषन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का षासन निर्देषानुसार भौतिक सत्यापन किया जा रहा है जिसके तहत 30 जनवरी रविवार तक 8584 पं ेषन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कर 85ण्84 प्रतिषत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

2751 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए

स्वरोजगार ऋण से 104 हितग्राही हुए लाभान्वित

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 30 जनवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यषील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विषेश अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु 2560 हितग्राहियों को राषि रूपये 10ए000६ तथा द्वितीय कार्यषील पूंजी हेतु 191 हितग्राहियों को राषि रूपये 20ए000६ ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 101 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 3 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।
पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवष्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही
15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राषि होगी वसूल

रतलाम 30 जनवरी । षहर की मुख्य सड़के सैलाना रोडए सागोद रोडए महू रोडए स्टेषन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जायेगी।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देषित किया है षहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जाये।
नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 30 जनवरी । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोए व्यावसायिक प्रतिश्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 30 जनवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देषित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिष्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देषित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया कि दोनो पालियों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कषॉप में

जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देषित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 30 जनवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले.नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले. नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।
वार्डो की समुचित साफ.सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ.सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचारध्जण्संण्विण्ध्हेमन्तध्30ण्01ण्2022ध्नण्पाण्निगमए रतलामण्